न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री ओमप्रकाष विष्नोई, आर.ए.एस.

2025-31RAAJodhpur2025-18RTA223 lrs of Aasuram ors Vs Rukamo etc
2025-32RAAJodhpur2025-17RTA223 Sonaram Vs Rukamo etc

1. आसुराम पुत्र स्व० श्री पेमाराम के कायम मुकाम –
   1.1. अणचीदेवी पत्नी स्व० आसुरामजी
   1.2. नेमाराम पुत्र स्व० आसुरामजी
   जातियान पटेल निवासीगण ग्राम निम्बलासर, तहसील लुणी जिला जोधपुर।
   1.3. केलीदेवी पुत्री स्व० आसुरामजी पत्नी श्री खीमारामजी जाति पटेल निवासी ग्राम सरेंचा तहसील लूणी जिला जोधपुर ।
   1.4. सीतादेवी पुत्री स्व० आसुरामजी पत्नी श्री पोलारामजी, जाति पटेल ग्राम कटारड़ा, तहसील झंवर, जिला जोधपुर।
   1.5. भीमाराम पुत्र स्व० श्री आसुरामजी जाति पटेल, निवासी ग्राम निम्बलासर तहसील लूणी जिला जोधपुर।
2. पोलाराम पुत्र स्व० श्री पेमारामजी के कायम मुकामः–
   2.1. झमकुदेवी पत्नी पोलारामजी
   2.2. वागाराम पुत्र स्व० पोलारामजी
   जातियान पटेल, निवासीगण ग्राम सर तहसील लूणी, जिला जोधपुर।
   2.3. जीवीदेवी पुत्री स्व० पोलारामजी, पत्नी श्री भल्लारामजी, जाति पटेल, निवासी सुखनाडा ग्राम सालावास, तहसील तृणी जिला जोधपुर।
   2.4. लुम्बाराम पुत्र स्व० पोलारामजी
   2.5. मांगीदेवी पुत्री स्व० पोलारामजी पत्नी श्री नेमारामजी
   जातियान पटेल, निवासीगण ग्राम सर, तहसील लूणी जिला जोधपुर

अपीलाण्ट्स ...

ब

ना

म

01. रूकमादेवी उर्फ सुगनादेवी पत्नी श्री देवारामजी पुत्री पेमारामजी, जाति पटेल, निवासी ग्राम सरेंचा, तहसील लूणी. जिला जोधपुर ।
02. बबलीदेवी पत्नी श्री लाबूरामजी, पुत्री श्री पेमारामजी, जाति पटेल, निवासी ग्राम सरेंचा, हाल ग्राम सालावास, तहसील लूणी, जिला जोधपुर ।
03. शिवाराम पुत्र श्री पेमारामजी, जाति पटेल, निवासी ग्राम सर, तहसील लूणी, जिला जोधपुर ।
04. सोनाराम पुत्र श्री पेमारामजी, जाति पटेल, निवासी ग्राम सर, तहसील सृणी जिला जोधपुर हाल सी–48, सुथारों की बगेची के पिछे, श्रमिकपुरा, मसुरिया, जोधपुर ।

05. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लूणी ।

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काष्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं डिक्री दिनांक 10 जनवरी 2025 सहायक कलक्टर लूणी राजस्व मूल वाद संख्या 53/2013 रूकमादेवी व अन्य बनाम आसुराम के कायम मुकाम अणची इत्यादि

उपस्थित–
श्री प्रेम कुमार देवड़ा, अधिवक्ता–अपीलाण्ट्स
श्री गुलाबसिंह चम्पावत, अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2
श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो. संख्या 7

(02)2025-32RAAJodhpur2025-17RTA223 Sonaram Vs Rukamo etc

सोनाराम पुत्र श्री पेमारामजी, जाति पटेल, निवासी ग्राम सर, तहसील सृणी जिला जोधपुर हाल सी–48, सुथारों की बगेची के पिछे, श्रमिकपुरा, मसुरिया, जोधपुर ।

अपीलाण्ट ...

ब
ना
म

01. रूकमादेवी उर्फ सुगनादेवी पत्नी श्री देवारामजी पुत्री पेमारामजी, जाति पटेल, निवासी ग्राम सरेंचा, तहसील लूणी. जिला जोधपुर ।
02. बबलीदेवी पत्नी श्री लाबूरामजी, पुत्री श्री पेमारामजी, जाति पटेल, निवासी ग्राम सरेंचा, हाल ग्राम सालावास, तहसील लूणी, जिला जोधपुर ।
03. शिवाराम पुत्र श्री पेमारामजी, जाति पटेल, निवासी ग्राम सर, तहसील लूणी, जिला जोधपुर ।

3. आसुराम पुत्र स्व० श्री पेमाराम के कायम मुकाम –
   3.1. अणचीदेवी पत्नी स्व० आसुरामजी
   3.2. केलीदेवी पुत्री स्व० आसुरामजी
   3.3. नेमाराम पुत्र स्व० आसुरामजी
   3.4. भीमाराम पुत्र स्व० श्री आसुरामजी
   3.5. सीतादेवी पुत्री स्व० आसुरामजी
4. पोलाराम पुत्र स्व० श्री पेमारामजी के कायम मुकामः–
   4.1. झमकुदेवी पत्नी पोलारामजी
   4.2. बागाराम पुत्र स्व० पोलारामजी

4.3. जीवीदेवी पुत्री स्व० पोलारामजी,
4.4. लुम्बाराम पुत्र स्व० पोलारामजी
सभी जातियान पटेल, निवासीगण ग्राम सर, तहसील लूणी जिला जोधपुर।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लूणी ।

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काष्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं डिक्री दिनांक 10 जनवरी 2025 सहायक कलक्टर लूणी राजस्व मूल वाद संख्या 53/2013 रूकमादेवी व अन्य बनाम आसुराम के कायम मुकाम अणची इत्यादि

उपस्थित–
श्री बांकाराम चौधरी, अधिवक्ता–अपीलाण्ट
श्री गुलाबसिंह चम्पावत, श्री दिनेष सीरवी अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 1 से तीन
श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो. संख्या 5

नि र्ण य

दिनांक : 22 मई 2025

दोनो अपीलों के अपीलाण्ट्स अपीले सहायक कलक्टर लूणी द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 53/2013 अनवान रूकमादेवी व अन्य बनाम आसुराम के कायम मुकाम अणची इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 10 जनवरी 2025 के खिलाफ आलौच्य अपीले अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काष्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत क्रमषः 20 जनवरी 2025 एवं दिनांक 17 जनवरी 2025 को प्रस्तुत की है।

दोनो अपीलों की विषय–वस्तु, प्रकृति एवं पक्षकारान् एवं कानूनी बिंदु समान होने तथा एक ही निर्णय के विरूद्ध प्रस्तुत होने से एक ही निर्णय में निस्तारित की जा रही है। प्रत्येक अपील में अलग– अलग निर्णय प्रति रखी जावे।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या एक व दो ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादग्रस्त भूमि खसरा नं. 331 रकबा 58.09 बीघा, खसरा नं. 332 रकबा 04 बिस्वा, खसरा नंबर 334 रकबा 53.9 बीघा ग्राम सरेंचा तहसील लूणी के संबंध धारा 88, 53 एवं 188 आर.टी.एक्ट के तहत वाद प्रस्तुत कर वादग्रस्त आराजी के संबंध में खातेदारी घोषणा, विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा की इस्तदुआ चाही। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद प्राथमिक रूप से स्वीकार कर निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री

दिनांक 01.12.2014 एवं संषोधित निर्णय दिनांक 21.06.2016 पारित कर तहसीलदार लूणी से विभाजन प्रस्ताव तलब किये जाने के आदेष दिये गये, जिसके विरूद्ध अपीलांट्स द्वारा अपील संख्या 29/2023 प्रस्तुत की गई। अदालत हाजा द्वारा दिनांक 30 जून 2023 को अपील स्वीकार कर विचाण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री को निरस्त करते हुए मामला विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया गया। विचारण न्यायालय द्वारा प्रतिप्रेषित प्रकरण में अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 10 जनवरी 2025 पारित कर दी, जिसके विरूद्ध आलौच्य अपीले प्रस्तुत की गई।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता–अपीलाण्ट(दोनो अपीलों के अपीलांट्स) ने तथ्यों को दोहराते हुए अपनी में कथन किया कि माननीय न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 30 जून 2023 के जरिये अधीनस्थ न्यायालय को मामले में आवश्यक तनकीयात कायम करते हुए उभय पक्षों को साक्ष्य सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए विस्तृत विवेचन एवं विश्लेषण सहित वादग्रस्त आराजीयान पुश्तैनी होने/नहीं होने, खातेदार पेमाराम की मृत्यु दिनांक व राजस्व रेकर्ड में पेमाराम के स्थान पर उनके पुत्रों का नाम दर्ज किये जाने के ठोस आधार आदि बाबत् निष्कर्ष अंकित करते हुए विधिसम्मत निर्णय एवं डिक्री पारित किये जाने के निर्देष दिये गये थे। विचारण न्यायालय द्वारा माननीय न्यायालय के उक्त आदेशों की कोई पालना नहीं की गयी एवं अपीलाण्ट्स को सुनवाई एवं साक्ष्य को अवसर प्रदान किये बिना ही एकतरफा निर्णय एवं डिक्री पारित किये गये है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में प्राथमिक डिक्री एवं निर्णय दिनांक 01.12.2014 का हवाला दिया गया है एवं उक्त निर्णय के आधार पर बंटवाड़ा प्रस्ताव दिनांक 12.04.2023 को पेश करना बताया गया हैं, जबकि उक्त प्राथमिक डिक्री एवं निर्णय माननीय न्यायालय द्वारा 30.06.2023 को ही अपास्त कर दिये गये थे एवं माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30.06.2023 की प्रमाणित प्रति अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में मौजूद होने के बावजूद भी विचारण न्यायालय द्वारा माननीय न्यायालय के आदेषों की पालना किये बिना पूर्व में पारित प्राथमिक डिक्री एवं निर्णय दिनांक 01.12.2014 एवं संशोधित आदेश दिनांक 21.06.2016 के आधार पर अपीलाधीन निर्णय एवं अंतिम डिक्री जारी कर दी। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में जिस बंटवाडा प्रस्ताव दिनांक 12.04.2023 को तैयार कर पेश करना बताया गया एवं जिस प्राथमिक डिक्री एवं निर्णय दिनांक 01.12.2014 की पालना में तैयार किया जाना बताया गया है,

वह भी डी पार्ट में नहीं रखा गया एवं उसके आधार पर ही अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित की गयी है, जबकि उक्त निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री तो पूर्व में ही अपास्त किये जा चुके थे। अपीलांट्स के अधिवक्तागण ने अपनी बहस जारी रखते हुए निवेदन किया कि दौरान वाद प्रतिवादी संख्या एक व दो के फौत हो चुके थे। अधीनस्थ न्यायालय में उनके कायम मुकाम की कोई कार्यवाही नहीं की गयी एवं उन मृत व्यक्तियों के विरूद्ध अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित कर दिये गये। ऐसी स्थिति में न्यायालय द्वारा की गयी तमाम कार्यवाही एवं अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री विधिक प्रावधानों के विपरीत होने से अपास्त योग्य है।

अंत में अपीलांट्स के अधिवक्तागण ने निवेदन किया कि दोनो अपीले स्वीकार की जावे तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर लूणी द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 53/2013 अनवान रूकमादेवी व अन्य बनाम आसुराम के कायम मुकाम अणची इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 10 जनवरी 2025 को खारिज फरमाया जावे एवं मामला विधिनुसार निस्तारित किये जाने हेतु विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जावे। वकील अपीलांट्स ने अपनी बहस के समर्थन में 2023(1)आर. आर.टी. 358 की न्यायिक नजीर पेष की।

जवाब में रेस्पोडेंट्स के अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि वादग्रस्त आराजी रेस्पोडेंट्स की पुष्तैनी खातेदारी की भूमि है। माननीय न्यायालय द्वारा प्रतिप्रेषित प्रकरण में विचारण न्यायालय द्वारा अपीलांट्स को बार–बार अवसर प्रदान किये जाने के बावजूद उनके द्वारा किसी प्रकार की चाराजोही नहीं की गई। विचारण न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख के आधार पर विधिसम्मत निर्णय एवं डिक्री पारित की है। ऐसी स्थिति में अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज फरमायी जावे।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरूप विधिसम्मत निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख के मुताबिक **विचारण न्यायालय द्वारा पूर्व में पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 01. दिसंबर 2014 एवं संषोधित आदेष दिनांक 21.06.2016 के विरूद्ध प्रस्तुत अपील संख्या 2023/24 अनवान**

आसुराम बनाम श्रीमती रूकमों इत्यादि दिनांक 30 जून 2023 को आंषिक रूप से स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 01 दिसंबर 2014 एवं संषोधित आदेष दिनांक 21 जून 2016 को निरस्त कर मामला विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देष जारी किये गये थे कि **वह मामले में अदालत हाजा द्वारा किये गये विवेचन के परिप्रेक्ष्य में आवष्यक तनकीयात कायम करते हुए उभय पक्ष को साक्ष्य सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए विस्तृत विवेचन एवं विष्लेषण सहित वादग्रस्त आराजी पुष्तैनी होने/नहीं होने, खातेदार पेमाराम की मृत्यु दिनांक व राजस्व रिकॉर्ड में पेमाराम के स्थान पर उनके पुत्रों का नाम दज किये जाने क ठोस आधार आदि बाबत निष्कर्ष अंकित करते हुए विधिसम्मत निर्णय पारित करे।** अदालत हाजा के उक्त निर्णय की प्रति विचारण न्यायालय की पत्रावली के पृष्ठ संख्या 52 से 63 पर मय अदालत हाजा के पत्र के साथ उपलब्ध है। यह उल्लेखनीय है कि विचारण न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा अदालत हाजा के उक्त निर्णय को मार्क किया गया है, जिससे यह स्वाभाविक है कि पीठासीन अधिकारी अदालत हाजा के उक्त निर्णय से वाकिब रहे है। विचारण का कर्तव्य था कि वह प्रतिप्रेषित प्रकरण को पुनः दर्ज रजिस्टर कर **पक्षकारान् को सम्यक रूप से सूचित करते हुए उन्हें जवाब प्रस्तुति का अवसर प्रदान कर, वाद पत्र एवं जवाब के आधार पर तनकीयात कायम करते हुए उन पर पक्षकारान् को साक्ष्य प्रस्तुति का अवसर प्रदान करते हुए उभय पक्ष की सुनवाई उपरांत अदालत हाजा के निर्देषों की पालना में पुनः विधिनुसार सुसंगत प्रावधानों अनुसार निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री जारी कर विधिनुसार विभाजन प्रस्ताव तलब करे। किंतु विचारण न्यायालय द्वारा अदालत हाजा के निर्देषों की पालना में में विधिनुसार निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री जारी किये जाने के बजाय पूर्व में पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 01.12.2014 जो अदालत हाजा द्वारा निर्णय दिनांक 30 जून 2023 को खारिज की जा चुकी थी, के आधार पर एवं उसकी पालना में पूर्व में प्राप्त विभाजन प्रस्ताव दिनांक 12.04.2023 के आधार पर अपीलाधीन निर्णय एवं अंतिम डिक्री पारित किया जाना पाया जाता है।** इन परिस्थितियों में अपीलाधीन निर्णय एवं अंतिम डिक्री न्यायिक प्रक्रिया, विधिक प्रावधानों एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत पाये जाने से समर्थन योग्य नहीं ठहरते है।

उपरोक्त विवेचन एवं विष्लेषण के आधार पर दोनो अपीले स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर लूणी द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या

53/2013 अनवान रूकमादेवी व अन्य बनाम आसुराम के कायम मुकाम अणची इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 10 जनवरी 2025 खारिज किये जाकर मामला विचारण न्यायालय को इस निर्देष के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह अदालत हाजा द्वारा पूर्व में प्रदत निर्देषों की पालना कर पहले विधिनुसार प्राथमिक डिक्री जारी करे तथा तत्पष्चात अग्रिम कार्यवाही करे। साथ ही विचारण न्यायालय के पीठासीन अधिकारी को हिदायत दी जाती है कि वह भविष्य में इस प्रकार के गैर जिम्मेदाराना रवैया/कृत्यों की पुनरावृति नहीं करे तथा उच्चतर न्यायालयों द्वारा प्रदत निर्देषों एवं वाद विचारण की प्रक्रिया की पूर्ण पालना करे।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाष विष्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर